

अनुदान संख्या 62 - निर्वाचन आयोग
GRANT No. 62- ELECTION COMMISSION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	25,93,00	34,20,00	34,17,80	- 2,20
पूरक	Supplementary	8,27,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				40

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में बचतें, निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई :-

1. In the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2015"	Major Head "2015"				
निर्वाचन	Elections				
मू.	O.	2593.00	3419.60	3417.80	-1.80
पू.	S.	827.00			
पु.	R.	-0.40			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

(I) ₹10.00 लाख का प्रावधान (नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹9.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) "निर्वाचन आयोग - मतदाता जागरूकता" के अंतर्गत एक मामले में अप्रत्याशित तात्कालिक आवश्यकताओं और प्रशासनिक कारणों से पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹10.00 lakhs (including supplementary grant of ₹9.00 lakhs obtained in November, 2011) remained wholly unutilised in one case under "Election Commission - Voters Awareness" - due to unforeseen exigencies and administrative reasons.

(II) "प्रशिक्षण - निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण देना" के अंतर्गत ₹100.00 लाख के मूल प्रावधान को नवम्बर, 2011 में ₹481.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹581.00 लाख कर दिया गया था, तथापि, जो प्रशासनिक कारणों से मतदाता शिक्षा पर प्रशिक्षण आयोजित न कराए जाने के कारण ₹78.75 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under "Training - Imparting Training for Election" - the original provision of ₹100.00 lakhs was augmented to ₹581.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹481.00 lakhs in November, 2011 which, however, remained unutilised to the extent of ₹78.75 lakhs - due to non-conduction of training on voter education owing to administrative reasons.